

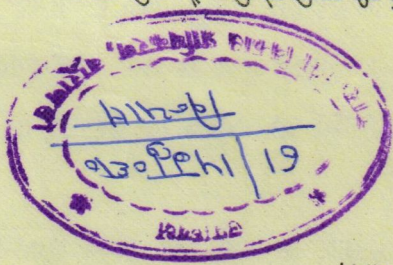
गृह निर्माण एवं अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्रो नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बनने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के अधिकार या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री. राजेश कुमार निर्माता/पति का नाम श्री श्री. राजेश कुमार हैं नक्शे में दर्शाए स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपर्युक्त के विस्तृत भवन बाई राधा में नक्शे में दर्शाए स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपर्युक्त के विस्तृत भवन निम्न अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

गृह

दिनांक 20.....



नगर अधिकारी (गृह)
नगर विकास अधिकारी
नगर निर्माण अधिकारी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि हमारा आज्ञानुसार नदी घाटी में उपर्युक्त द्वारा निर्माण किया जा सकेता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्राप्ति पर होगा। यदि कोई हमारा बिना उपर्युक्त की अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञासम्य हमारा को उपर्युक्त द्वारा दंडवा दिया जायेगा और उसके दंडने के खर्च का भार उस हमारा बनाने वाले से वर्तन किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बर्तक प्रत्यक्षन जैसे कि पार्किंग, बारता, लोड, सीढ़ी, शॉप गेज अथवा पुराने निर्माण को लोडकर उस जागह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति यह उसके साथ नक्शे में दिखाई गी है, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगावार्ड पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह बेघार हो जाने पर निर्माण के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में लिये प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपर्युक्त की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा दंडा सकता है।

5- प्राप्ति की नियमानुसार उपर्युक्त की मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नष्ट, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि दंडा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके लगे निर्माण कार्य प्रारम्भ करे।

7- यदि अधिकारित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।